

FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

अज अदालत.....

उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम.....

किस्म मु०.....

मूली बाई

बनाम.....

रकबा

मिसल न०.....

72/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
24/10/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी मूलीबाई पत्नि रामकुंवार ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम मूलीबाई पत्नि रामकुंवार नि० अयाना नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2076 से 79 मुताबिक खसरा नबर 3383/375, 3384/375 में काशतगार का नाम मूलीबाई पत्नि रामकुंवार दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम मूलीबाई पत्नि रामकुंवार के स्थान पर मूलीबाई पत्नि रामकुंवार नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक 27/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
इलाहाबाद